छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19 अटल नगर
जिला-रायपुर,छत्तीसगढ़

आरएनटीसीपी कार्यक्रम अंतर्गत टीबी ड्रग स्लीवस के मुद्रण की नियम एवं शर्ते

क्र.	नियम एवं शर्ते
1	मुद्रक के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम 19" x 25" इंच का चार कलर शीट फेड ऑफसेट मशीन एवं बाइंडिंग इकाई चालू हालत में होना अनिवार्य है | (स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ /इन्वाइस प्रस्तुत करना होगा) फ्रेंचाइजी मान्य नहीं होगा |
2	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित गत वर्ष का कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुद्रण कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा | एवं गत वर्ष का Audited Balance Sheet , Profit and loss account schedules के साथ प्रस्तुत करना होगा |
3	मुद्रकों को जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड, गत 12 माह का इन्कम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, प्रस्तुत करना होगा |
4	मुद्रकों को निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रूप में छत्तीसगढ़ संवाद अटल नगर, रायपुर के नाम से देय राशि 50,000 /- (पचास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट उपलबद्ध करना होगा|
5	निविदा दो लिफाफो मे प्रस्तुत करना होगा, एक लिफाफा टेक्निकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बिड का होगा , टेक्निकल बिड लिफाफा मे स्वंय के स्वामित्व के वांछित मशीनों के दस्तावेज़ कि प्रतियाँ तथा अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट, PAN कार्ड, गतवर्ष का इनकम टेक्स एवं जीएसटी रिटर्न (12 माह) की प्रतियाँ, अन्य दस्तावेज़ तथा दुसरे लिफाफे मे फाइनेशियल बिड हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र मे दर प्रस्तुत करना होगा |
6	टेक्निकल बिड मे वांछित दस्तावजों में योग्य पाये गए मुद्रको का फाइनेशियल बिड खोला जायेगा अयोग्य संस्थाओ का फाइनशियल बिड नहीं खोला जाएगा |
7	निविदा के साथ चाहे गए सभी प्रकार के पेपर के नमूने जिसमे गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के साथ संस्था की सील लगी हुई हो संलग्न् कर प्रस्तुत करना होगा |
8	मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता, आकार, प्रकार एवं पृष्ठ संख्या मे परिवर्तन होने पर न्यूनतम दर से आनुपातिक दर पर गणना की जाएगी एवं गुणवत्ता मे कमी पाये जाने पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त न्यूनतम 2 से अधिकतम 10 प्रतिशत तक पेनाल्टी काटी ज़ायेगी ।पेनाल्टी तय करने का अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहेगा|
9	जिन किस्मों को कागजो मे मुद्रण किए जाने के लिए निविदाए मंगाई जा रही है उन्ही किस्मों के कागज मात्रा तथा आकार – प्रकार, (BIS (Bureau of Indian Standards) writing and printing paper specification) एवं निर्धारित समय सीमा मे मुद्रण सामग्री प्रदाय करनी होगी| मुद्रक द्वारा बिना लिखित अनुमति के मुद्रण कार्यादेश से मुद्रण मे परिवर्तन करने पर छत्तीसगढ़ संवाद मुद्रकों के देयकों का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा|
10	मुद्रण दरे F.O.R. रायपुर / अटल नगर, रायपुर होगी अर्थात सुपुर्दगी का स्थल स्थानीय (रायपुर/अटल नगर, रायपुर मे) होने की स्थिति मे मुद्रकों / एजेंसियों को अलग से किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा, मुद्रकों को मुद्रित सामग्रियों सम्बंधित विभागों/ संस्थाओं को रायपुर / अटल नगर, रायपुर या रायपुर के किसी भी स्थान पर स्थित कार्यालयों /गोडाउन में निर्धारित/ वांछित स्थानों में उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसके लिए न्यूनतम दरो के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा |
11	मुद्रक को नियत स्थान तक मुद्रित सामग्री पंहुचाने मे पूरी सुरक्षा बरतनी होगी मुद्रित सामग्री मे किसी प्रकार की क्षति अथवा कमी पाये जाने की स्थिति मे प्रमाणित नुकसान के लिए मुद्रक स्वयं जिम्मेदार होगा |

Scanned by CamScanner

12	संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गए सीडी / डिजाइन मे ही मुद्रण करना होगा तथा मुद्रक को स्वीकृत दर के अलावा अलग से फिल्म प्लेट पेपर,बटर पेपर अन्य खर्च के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी। अत: निविदा मे समस्त व्यय आदि को शामिल कर दरे प्रस्तुत करे। टैक्स से सम्बन्धित देयकों में टैक्स का उल्लेख पृथक से करना होगा एवं समय – समय पर मुद्रको को जीएसटी सम्बन्धी रिटर्न एवं चालान की प्रतियाँ अनिवार्यतः छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध करना होगा।
13	समय – सीमा व वांछित गुणवत्ता आकार – प्रकार तथा निर्धारित मात्रा मे सामग्रियों का मुद्रण करना अनिवार्य है ,अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर मुद्रक को एक वर्ष के लिए काली सूची मे डाला जा सकता है एवं मुद्रक के जमा अमानत राशि राजसात किया जा सकता है।
14	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये मुद्रक निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे मुद्रक को स्वहस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को उक्त मे से कहीं भी काली सुची मे नही डाला गया है।
15	प्रकाशन सामग्री का मुद्रण कराने वाले विभाग/ शासकीय संस्थान से देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित मुद्रकों के देयकों का भुगतान किया जाएगा , कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
16	निविदा मे अंकित दरे एव शर्तो मे से किसी भी शर्त को पूर्णत: अथवा अंशत कार्य की तात्कालिक एव विशिष्ट परिस्थितियो मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।
17	निविदा स्वीकार करने / अस्वीकार करने तथा न्यूनतम निविदा दर पर पैनल के किसी भी मुद्रक से कार्य कराने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
18	मुद्रित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जाँच का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा आवश्यकता पड़ने पर संवाद की समिति अथवा मुद्रण कार्य विशेषज्ञ अथवा इस संबंध में शासन द्वारा अधिकृत जाँच एजेंसी / प्रयोगशाला में जाँच कराई जा सकेगी, जिसका व्यय मुद्रक के देयक में काटा जायेगा।
19	निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी विवरण 'अ' श्रेणी का है मल्टीकलर शीटफेड आफसेट मशीन में मुद्रण हेतु है।
20	मुद्रक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एव शर्ते मान्य है।
21	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
22	व्यवहार मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, अटल नगर
जिला - रायपुर

Scanned by CamScanner